REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 7 | APRIL - 2021

सामाजिक कुप्रथाओं के बीच पिसती नारी–जीवन की दास्तान : हलाला

पटेल किरीटकुमार बी.
सहायक अध्यापक,धावड़िया प्राथमिक शाला,
तह. झालोद, जिला दाहोद,पीन. 389170 (गुजरात)

मुस्लिम समुदाय में तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं का सीधा संबंध स्त्रियों के प्रति अन्याय और शोषण से जुड़ा होने के कारण प्रगतिशील तबके के लोग इस प्रश्न को बार–बार विचार मंथन के लिए उठाते रहे हैं । मुस्लिम समुदाय का भी एक प्रभावशाली वर्ग इसके पक्ष में खड़ा होता रहा है लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जब–जब इन समस्याओं को प्रगतिशील मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में परखने और उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है तो "मुस्लिम पर्सनल ला" के हवाले से कट्टरपंथियों का एक बड़ा वर्ग इसके विरोध में खड़ा हो जाता है । स्त्री के शोषण–दमन का विरोध तथा उसकी समानता का अधिकार दिलाने की सारी दलीलें धर्म–विरोधी कहकर खारिज कर दी जाती है । न्यायालयीन स्तर पर सुधार के प्रयास भी "वोट की राजनीति के दबाव" या "हिन्दू–समर्थक" मान लिए जाने के भय से राजनीतिक स्तर पर निष्फल कर दिए जाते हैं । शाहवानो केस इसका ज्वलंत उदाहरण रहा है ।

स्त्रियों की समानता के अधिकार पर यह कुठाराघात बेहद संवेदनशील एवं विवादास्पद मुद्दा हो इसीलिए इसे मधुमक्खी के छते को छेड़ने जैसा माना जाता रहा है । आज बुद्धिजीवियों के लिए वह एक चुनौती की तरह खड़ा यक्ष प्रश्न है । समकालीन कई रचनाकारों ने ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी लेखनी चलाने का खतरा मोल लिया है । भगवानदास मोरवाल कृत "हलाला" उपन्यास (2016) तलाक के बाद अपने पूर्व पति के लिए हलाल होने की समस्या पर आधारित एक ऐसा ही विचारोत्तेजक उपन्यास है । धर्म की आड़ में हो रहे स्त्री के शोषण पर आधारित वह आख्यान कुछ बुनियादी सवालों को तो उभारता ही है–स्त्री चरित्रों की सजगता, चेतना, दृढ़ता एवं रूढ़ियों–प्रथाओं के विरूद्ध विद्रोह की भावना भी व्यक्त करता है । उपन्यास की मूल समस्या हलाल की आड़ में स्त्री के प्रति हो रहे अन्याय से संबंधित है । इस उपन्यास के मौलवी इमाम दाहिया खुर्रम के अनुसार "एक तलाकशुदा औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह करे और फिर उससे बाद तो तलाक ले या उसके उस शौहर की मौत हो जाए, तभी वह पहले शौहर के लिए हलाल होती है– इसी का नाम हलाला ।"[9]

इस हलाल की जरूरत तब होती है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है किन्तु बाद में उसे पछतावा होने लगता है और वह अपनी पत्नी को फिर से अपने घर ले आना चाहता है । विवेच्य कृति में यही स्थिति नजराना के जीवन में आती है । नजराना हाजी खुदाबख्श उर्फ टटलू सेठ की बिचली बहू है । उसके व्यक्तित्व के बारे में लेखक की टिप्पणी है कि सुख हो या दुख, हारी हो या बीमारी यानी कैसे भी हालात रहे हों, नजराना को पूरा मोहल्ला हमेशा हँसता–मुस्कराता देखता आया है । जब से यह खुदाबख्श के घर में बहू बनकर आयी थी तब से उनके दिन फिर गए थे । किसी ने नजराना को किसी से उँची आवाज में बात करते तक नहीं सुना था । उसके लिए अपने शौहर को राजी और खुश रखना सबसे बड़ी इबादत थी । शौहर नियाज की माली हालत अच्छी न होने के बावजूद नजराना ने कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं की । ऐसी

भली और नेक औरत को जो तीन बच्चों की माँ भी थी, नियाज ने बदचलनी का आरोप लगाते हुए तलाक दे दिया था ।

स्त्री के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाले इस फैसले से नजराना का आहत हो उठना स्वाभाविक ही था क्योंकि असलियत कुछ और ही थी, जिसकी ओर फातिमा ने संकेत किया है । उसके अनुसार "ये सारा बीज इस हरामी टटलू का बोया हुआ है । वाही की ही बेटा–बहू गलत नजर...जब बहू काबू में ना आयी तो ई अफवाह उडा दी के बाको चाल...चलन ठीक ना है । ऐसा डे रावमन् सू हम कहान तलक बचती डोलें ।"[२] फातिमा के माध्यम से लेखक ने औरतों के उस भय को व्यक्त किया है । जहाँ उनका सम्मान अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह गया है– "जब हम अपना घरन् में ही महफूज ना हैं तो और कहाँ होंगी ।"[३] नजराना के प्रति उसके परिवार का यह व्यवहार उसे तोड देता है । उधर पूरे समाज में जब हाजी खुदाबख्श की थू–थू होने लगती है तो वे न तराना को ससम्मान घर वापस लाना चाहते हैं । इसके लिए वे साम, दाम, दंड, भेद सब आजमाते हैं लेकिन नजराना का स्वाभिमानी व्यक्तित्व इसे तब तक स्वीकार नहीं करता, जब तक भरी पंचायत में हाजी खुदाबख्श माफी नहीं माँगते । अंततः यह तय किया जाता है कि नियाज और हाजी खुदाबख्श पूरी इज्जत के साथ नजराना को विदा कराकर घर लाएँगे लेकिन तभी रसखान हलाला का सवाल उठाता है । हलाल के लिए पहले हाजी साहब के छोटे–बेटे अकरम का नाम लिया जाता है लेकिन उसकी बीवी नासिरा साफ मना कर देती है । अंततः डमरू के साथ निकाह कर फिर तलाक दिलाने की योजना बनती है । हाजी खुदाबख्श और उनकी पत्नी कल्लो डमरू के बड़े भाई कमाल खाँ और नसीबन से बहुत मिन्नतें करते हैं । डमरू पहले तो इसके लिए राजी नहीं होता है किन्तु नसीबन के बहुत समझाने पर कि "उसके हाँ कहने से किसी का घर बस जाएगा ।"[४] वह एक शर्त पर तैयार होता है कि पंद्रह–बीस दिनों बाद तलाक हो जाएगा ।

वस्तुतः डमरू...अपने रूप रंग के कारण मुहल्ले में कलसंडा यानी काले साँड़ के रूप में जाना जाता है । इसीलिए वह जब–तब आइने के सामने अक्स देखने की कोशिश करता रहता है । बड़ी भावज नसीबन ने उसे बेटे की तरह पाला–पोसा था अतः आमना की बात उसे टीस की तरह चुभती हैं । वह नोहरे का सारा काम अकेले करता है लेकिन परिवार में उसको कोई महत्व नहीं देता । इसीलिए डमरू जब हज जाने की जिद करता है तो भाईयों द्वारा जमात में जाने के लिए मनाया जाता है क्योंकि हज जाने का खर्च अधिक होता । बकौल नसीबन परिवार में उसकी स्थिति एक बधिया बैल–सी है, जिसे जितना जोता जा सके, उतना जोता लिया जाए । आमना भी उसकी शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती कि चौथी आएगी तो अपना हिस्सा माँगेगी ।

डमरू के साथ नजराना का निकाह तो करा दिया जाता है किन्तु निकाह के बाद डमरू का पंद्रह दिन का समय वैराग्य और खालीपन से मुक्ति की चाह में अधिकांशतः मस्जिद में ही बीतता है । पंद्रह दिनों बाद तलाक के लिए फिर पंचायत बैठती है तो वह पंचों के सामने तीन बार तलाक–तलाक कहकर तलाक तो दे देता है किन्तु मौलवी इनाम याहिया खुर्रम शरीअत के मुताबित हलाला कराने का प्रश्न उठाते हैं । उनके अनुसार "हलाला के लिए सिर्फ दूसरा निकाह ही काफी नहीं है बल्कि उस वक्त तक और पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती, जब तक कि वह दूसरे शौहर के साथ हम बिस्तर न हो ले ।"[५] डमरू से इस बारे में पूछा जाता है तो उससे कोई जवाब देते नहीं बनता । मौलवी साहब फैसला सुना देते हैं कि "पहले शरीआ और हदीस के मुताबिक हलाला करना होगा । यह तभी जायज माना जाएगा । बिना हम बिस्तर के तलाक के बारे में सोचना भी गुनाह है ।"[६] एक बुजुर्ग दादा टुंडल इसे न्याय नहीं मानते क्योंकि गलती करे मरद और सजा मिले बेचारी औरत जाल को । लेकिन मौलवी साहब हलाल का एक उद्देश्य मर्द के लिए भी है । सबक ही नहीं बल्कि उसके लिए तो यह एक सजा है, क्योंकि यह जानते हुए कि उसकी बीवी पराये मर्द के साथ हम बिस्तर हो चुकी है, तब भी वह उसे दोबारा कबूल करता है ।"[७]

मौलवी साहब के माध्यम से उपन्यासकार ने उन कट्टरवादी संकीर्ण धर्मगुरूओं की वैचारिकता को प्रस्तुत किया है जो शरीअत और हदीस का भय दिखाकर स्त्री और पुरूष के बीच अंतर मानते हुए पुरुष को श्रेष्ठ बताते है । मौलवी साहब के अनुसार–"कुरआन में साफ फरमाया है कि मर्दो के लिए औरतों पर एक दर्जा ज्यादा है, यानी मर्द औरत पर कव्वाम है । अल्लाहताला ने शौहर का बडा हक बनाया है । शौहर को खुश रखना औरत की सबसे बड़ी इबादत है और उसको नाखुश और नाराज करना बहुत बड़ा गुनाह ।...जो औरत पाँचों वक्त की नमाज अदा करती रहे, रमजान के रोजे रखे और अपने शौहर की ताबेदारी और फरमाबदारी

करती रहे, तो उसको अख्तियार है कि जन्नत के आठों दरवाजों में से जिससे उसका जी चाहे, बेखटके जन्नत में चली जाए । मौलवी साहब शरीअत का भय दिखाकर जन्नत के आठों दरवाजों से प्रवेश करने की छूट जिस पर आधार बताते हैं, वह नजराना जैसी औरतों के लिए जीते जी धरती पर नरक भोगने जैसी लगती है । इसीलिए वह सीधा प्रश्न करती हैं–"याको किस्मत को फैसला भी ये मरद ही करेंगे ?"[८]

दादा टुंडल जब पंचायत में नजराना से उसकी राय जानना चाहते हैं तो वह अपने बच्चों के पास तो जाना चाहती है लेकिन नियाज और टटलू सेठ के घर नहीं । इसी तरह उसे डमरू के संग रहना भी मंजूर होता है पर बाप पे बोझ भी वह नहीं बनना चाहती । दादा टुंडल से नजराना का यह प्रश्न इस सारी समस्या की असलियत को उजागर करता है–"दादा, हम कोई लत्ता–कपड़ा हैं के जब जी केरे पहन लेओ और जब जी करे उन्ने के फेंक देओ ?"[९] अपनी इसी विचारधारा के कारण नजराना डमरू के साथ रहना स्वीकार करती है लेकिन नियाज के साथ नहीं । उसके इस निर्णय द्वारा उपन्यासकार ने नारी–चेतना के एक सबल पक्षधर चरित्र को उद्घाटित किया है । यद्यपि नियाज के साथ उसने वैवाहिक जीवन व्यतीत किया था लेकिन उसे छोड़कर डमरू के साथ रहने के उसके निर्णय के मूल में डमरू के भीतर नारी के आत्मसम्मान की रक्षा करने की सामर्थ्य है । नियाज के बारे में नजराना सीधे–सीधे कहती है कि "मेरी आबरू तो या आदमी ने वाही दिन तार–तार कर दी ही, जा दिन याने चौड़ा में मेरो आसरा छीन लिया हो, और मैं एक पराया मरद के संग सोण कू मजबूर कर दी ही ।"[९०] इसके विपरित डमरू के बारे में उसकी धारणा है कि "ई भी तो मरद ही है जो चाह तो मेरी आबरू ए लूटना में मिनट ना लगाती, पर मजाल है या भला आदमी ने आबरू लूटनी तो दूर रही, याने आँख उठा के भी ना देखी...अगला ने अपणा हमीस और सरीअत की भी परवाह ना करी ।"[९१]

डमरू के प्रति ऐसा ही विश्वास नसीबन भी व्यक्त करती है । हलाला होने के लिए मौलवी साहब जब हम बिस्तर होने की शर्त रखते हैं तो डमरू के प्रति इस विश्वास के कारण ही नसीबन नजराना को समझा कर डमरू के पास नोहरे में भेजती है कि लोगों की नजर में हलाला भी हो जाएगा और नसीबन की अस्मत भी बची रहेगी ।

वास्तव में डमरू दृढ़ चरित्र वाला एक जमाती व्यक्ति है जिसने पहले तो नजराना से निकाह करने के लिए मना कर दिया था । लेकिन नसीबन के बहुत समझाने पर कि उसके हाँ कर देने से किसी का घर बस जाएगा, उसने निकाह के लिए हामी भरी थी । इसीलिए जब नजराना रात में उसके पास नोहरे पर गई थी तो उसने अपनी कौल रखते हुए उसे पूरा सम्मान दिया था और कहा था–"खुदा की बंदी तू मोसू जिनाह करणा की कहरी हे...मैं तेरे आगे हाथ जोड़ भगवान, ऐसो गुनाह मत करवा ।"[९२]

नजराना का घर बसाने के लिए ही डमरू ने भरी पंचायत में झूठे ही स्वीकार किया था कि "मौलवी के कहे मुताबिक हलाला हुआ है"[९३] लेकिन नजराना ने अपना फैसला बदल दिया था । इसका कारण भी स्त्री की मर्यादा की रक्षा के लिए डमरू का अपनी कौल पर अड़े रहना ही है । नजराना डमरू के उस दिन के व्यवहार को स्पष्ट करती है कि "मैंने वा दिन खुब कोशिश कर ली, पर मजाल है ऊ टस सू मस तो हुओ होए...बल्कि मैंने तो ही तक कह दी के अब मैं तेरी ब्याहता हूँ, पर ऊ अपना कौल पे अड़ो रहो...और जब ऊ यासू भी ना पिघलो तो मैंने साफ–साफ कह दी के मैं तेरी जिन भावजन्ने भेजी हूँ...फटगो, जब मैंने यासू ई कही के ठीक है मैं तेरी भावजन सू जाके कह दूँगी के तिहारा देवर सू कुछ भी ना हुओ । तो पतो है मेरा रस्ता ए रोक हाथ जोड़ के कहा बोलो ?"...बोलो के नजराना मोसू इतनो बड़ो गुनाह मत कर । खुदा की बंदी, मैंने तो निकाह की या मारे हामी भर दी के तेरी उजड़ी हुई दुनिया बस जाए । नजराना को लगता है कि जो व्यक्ति औरत के सम्मान की रक्षा के लिए इतना कटिबद्ध है । उसके साथ बाकी जिंदगी बिताने का फैसला करना कोई गुनाह नही है । वह यह भी सोचती है कि उसका स्पष्ट मानना है कि जा आदमी के भीतर खुदा का खौफ सू जादा एक बीर वाणी की आबरू लुटना को डर है ऐसा नेक, कौल को पक्को और ईमानवाला आदमी के संग कपट और दगा करना सू बड़ो और कोई गुनाह ना हो एगो । यदि डमरू ने मौलवी के मुताबिक हलाला कर दिया होता और फिर तलाक के बाद यदि वह नियाजें के साथ चली जाती तो जिंदगी भर इस आदमी से तो आँखें नहीं ही मिला पाती । यही नहीं बल्कि नियाज की नजरों में भी गुनहगार बनी रहती । बात–बात में अपनी सास और देवरानी–जिठानी की बोली सुनती, वो अलग से ।

सास कल्लो का चरित्र भी है । वह अत्यंत ही रूढ़िवादी है । पहले तो वह नजराना के लिए व्याकुल रहती है लेकिन जब उसे यह मालूम पडता है कि हम बिस्तर हुए बिना हलाला नहीं हो सकता तो उसकी पूरी

मानसिकता ही बदल जाती है । वह उसे अपने घर वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती । इसीलिए ऐसे घर में नजराना भी जाने को तैयार नहीं होती । इस प्रकार नजराना की दलीलें उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए की गई उसकी जद्दोजहद की उपज लगती है । ऐसे कद्दावर चरित्र की सृष्टि कर उपन्यासकार ने हलाला जैसी प्रथाओं को कठघर में ला खड़ा किया है ।

धार्मिक प्रथाओं के नाम पर शोषण और दमन के बीच पिस रही नारी का आत्मनिर्णय लेना विवेच्य उपन्यास को उल्लेखनीय बना देता है ।

संदर्भ

१. भगवानदास मोरवाल, हलाल, पृ. १२६
२. वही, पृ. ६५
३. वही, पृ. ७७
४. वही, पृ. ७७
५. वही, पृ. १३०
६. वही, पृ. १३०
७. वही, पृ. १३०–१३६
८. वही, पृ. १७२
९. वही, पृ. १७२
१०. वही, पृ. १७५
११. वही, पृ. १७८
१२. वही, पृ. १७८
१३. वही, पृ. १४२
१४. वही, पृ. १५४

पटेल किरीटकुमार बी.
सहायक अध्यापक, धावड़िया प्राथमिक शाला, तह. झालोद, जिला दाहोद, पीन. 389170 (गुजरात)